Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 201–2022/Ext.] CHANDIGARH, MONDAY, NOVEMBER 14, 2022 (KARTIKA 23, 1944 SAKA)

हरियाणा सरकार

शहरी स्थानीय निकाय विभाग

अधिसूचना

दिनांक 14 नवम्बर, 2022

संख्या 9/51/2022–4क II .– हरियाणा नगरपालिका वार्ड परिसीमन नियम, 1977 को आगे संशोधित करने के लिए नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे हरियाणा के राज्यपाल, हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (1973 का 24), की धारा 257 की उप–धारा (1) के खण्ड (ख) और (ग) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, बनाने का प्रस्ताव करते हैं तथा उक्त अधिनियम की धारा 257 की उप–धारा (5) द्वारा यथापेक्षित ऐसे व्यक्तियों की जानकारी के लिये, इसके द्वारा, प्रकाशित किया जाता है, जिनके इससे प्रभावित होने की सम्भावना है।

इसके द्वारा नोटिस दिया जाता है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से दस दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् राज्य सरकार, नियमों के प्रारूप पर, ऐसे आक्षेपों या सुझावों सहित, यदि कोई हों, जो अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा प्रारूप नियमों के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति से, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त किये जायें, विचार करेगी।

प्रारूप नियम

1. ये नियम हरियाणा नगरपालिका वार्ड परिसीमन (संशोधन) नियम, 2022, कहे जा सकते हैं।

2. हरियाणा नगर पालिका वार्ड परिसीमन नियम, 1977 में, नियम 3 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"**3. समिति की सीटों का निर्धारण**.– (1) प्रत्येक अधिकृत जनगणना के पश्चात्, प्रत्येक समिति की सीटों की कुल संख्या, नवीनतम जनगणना के आंकड़ों के आधार पर, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी।

(2) जहां किसी समिति क्षेत्र की सीमा में कोई क्षेत्र शामिल किया जाता है या बाहर निकाला जाता है या कुछ ग्रामीण क्षेत्रों या उनके भाग को शामिल करके, हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (1973 का 24) की धारा 2(क) तथा धारा 3 के अधीन एक नई समिति घोषित की जाती है, तो हरियाणा परिवार पहचान अधिनियम, 2021 (2021 का 20) के उपबन्धों के अधीन स्थापित परिवार सूचना डेटा कोष से ली गई जनसंख्या, एक नई समिति के रूप में जोड़े गए या उससे बाहर निकाले गए या घोषित किए गए ऐसे क्षेत्र के सम्बन्ध में जनसंख्या का पता लगाने के प्रयोजन हेतु ऐसी तिथि, जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, को समिति की सीटों के निर्धारण के प्रयोजन हेतु विचारणीय होगी।

(3) प्रत्येक समिति के निर्वाचन द्वारा भरी जाने वाली सीटों की संख्या नीचे दिए गए सूत्र के अनुसार निर्धारित या पुनः निर्धारित की जाएगी :–

पालिका की जनसंख्या	सीटों की संख्या
10,000 से अनधिक	11
10,000 से अधिक किन्तु 20,000 से अनधिक	13
20,000 से अधिक किन्तु 30,000 से अनधिक	15
30,000 से अधिक किन्तु 40,000 से अनधिक	17
40,000 से अधिक किन्तु 50,000 से अनधिक	19
50,000 से अधिक किन्तु 60,000 से अनधिक	21
60,000 से अधिक किन्तु 70,000 से अनधिक	23
70,000 से अधिक किन्तु 80,000 से अनधिक	25
80,000 से अधिक किन्तु 90,000 से अनधिक	27
90,000 से अधिक किन्तु 1,00,000 से अनधिक	29
1,00,000 से अधिक किन्तु 3,00,000 से अनधिक	31

(4) अनुसूचित जाति से सम्बन्धित सदस्यों की सीटों की संख्या प्रत्येक समिति में उनकी जनसंख्या के अनुपात में निम्नलिखित सूत्र के अनुसार निर्धारित की जाएंगी :–

$$\frac{\text{कुल सीटों की संख्या X अनुसूचित जाति की जनसंख्या''.}}{\text{कुल जनसंख्या}}$$

अरूण गुप्ता,
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
शहरी स्थानीय निकाय विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT

Notification

The 14th November, 2022

No. 9/51/2022-4CII.— The following draft of rules further to amend the Haryana Municipal Delimitation of Ward Rules, 1977, which the Governor of Haryana proposes to make in exercise of the powers conferred under clauses (b) and (c) of sub-section (1) of section 257 of the Haryana Municipal Act, 1973 (24 of 1973), is hereby published as required by sub-section (5) of section 257 of the said Act for the information of persons likely to be affected thereby.

Notice is hereby given that the draft of rules shall be taken into consideration by the State Government on or after the expiry of a period of ten days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, together with objections or suggestions, if any, which may be received by the Additional Chief Secretary to Government, Haryana, Urban Local Bodies Department, from any person in respect of the draft of rules before the expiry of the period so specified.

DRAFT RULES

1. These rules may be called the Haryana Municipal Delimitation of Ward (Amendment) Rules, 2022.

2. In the Haryana Municipal Delimitation of Ward Rules, 1977, for rule 3, the following rule shall be substituted, namely:-

"**3. Fixation of seats of Committee.–** (1) After every official census, the total number of seats of each committee shall be fixed by the State Government on the basis of the latest census figures.

(2) Where certain area is included or excluded from the limits of a committee or where certain areas comprising rural areas or part thereof is declared to be a new committee under sections 2A and section 3 of the Haryana Municipal Act, 1973 (24 of 1973), for the purposes of ascertaining the population in respect of

such area added to or excluded from or declared to be a new committee, the population as drawn from the family Information Data Repository established under the provisions of the Haryana Parivar Pehchan Act, 2021 (20 of 2021), on such date as may be notified by the State Government shall be considered for the purpose of fixation of seats of the committee.

(3) The number of seats to be filled by election on each committee shall be fixed or re fixed in accordance with the following formula:-

Municipality with a population	**Number of seats**
Not exceeding 10,000	11
Exceeding 10,000 but not exceeding 20,000	13
Exceeding 20,000 but not exceeding 30,000	15
Exceeding 30,000 but not exceeding 40,000	17
Exceeding 40,000 but not exceeding 50,000	19
Exceeding 50,000 but not exceeding 60,000	21
Exceeding 60,000 but not exceeding 70,000	23
Exceeding 70,000 but not exceeding 80,000	25
Exceeding 80,000 but not exceeding 90,000	27
Exceeding 90,000 but not exceeding 1,00,000	29
Exceeding 1,00,000 but not exceeding 3,00,000	31

(4) The number of seats for members belonging to the Scheduled Castes shall be fixed in proportion to their population in each committee in accordance with the following formula :-

$$\frac{\text{Total number of Seats X Population of Scheduled Castes''.}}{\text{Total Population}}$$

ARUN GUPTA,
Additional Chief Secretary to Government, Haryana,
Urban Local Bodies Department.

9972—C.S.—H.G.P. Pkl.